(b) the reasons for delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) 79.4 per cent of cables have been laid in Jorbagh Exchange area.

(b) Balance of cables could not be laid so far due to the overall shortage of Telephone cables in the country. Efforts are being made to supply additional cables to the Delhi District during the current year.

Earth Satellite Station at Arvi (Poona)

4336. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the time by which the commercial earth satellite station at Arvi (Poona) will be completed;

(b) its cost and the amount of foreign exchange involved in the project; and

(c) whether it will have considerable effect on the expansion of our telephone, radio and television net work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) The Commercial Satellite Earth Station at Arvi near Poona is expected to be commissioned by middle of February, 1970.

(b) The Earth Station is estimated to cost Rs. 522.60 lakhs including a foreign exchange expenditure of Rs. 258·90 lakhs.

(c) Establishment of the Commercial Satellite Earth Station at Arvi will have considerable effect on the expansion of India's international telephone, telegraph, telex and other Services. Meant as it is for handling international telecommunications traffic, this Station will have no direct effect on the expansion of internal telephone radio or television network of the country.

हरे चारे को सुरक्षित रखना

4337. श्री महाराज सिंह भारती : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोपीआनिक एसिड छिड़क कर हरा चारा सुरक्षित रखने का एक नया तरीका निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत में किये जा रहे परीक्षणों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) कोई ऐसे परीक्षण नहीं किये गये हैं । परन्तु हरे चारे से साइलेज बनाने के दौरान अणुजीवी क्रिया के कारण अन्य अम्लों में लैक्टिक अम्ल तथा प्रोपियोनिक अम्ल बन जाते हैं । वे अम्ल साइलेज के लिए परिरक्षक का कार्य करते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

संयुक्त प्रबन्ध परिषद् के बारे में कानून

4338. श्री महाराज सिंह भारती : क्या रोजगार श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त प्रबन्ध परिषद् के अच्छे परिणामों और इस बारे में मिल मालिकों के अनुचित रवैये को देखते हुए उक्त परिषद् के सम्बन्ध में कानून न बनाये जाने के क्या कारण है ; और

(ख) इस बारे में कानून बनाये जाने तक सरकारी क्षेत्र के सभी कारखानों में संयुक्त प्रबन्ध परिषद् की प्रणाली लागू न करने के क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). सरकार द्वारा संयुक्त प्रबन्ध परिषद् की योजना त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के बाद 1958 में शुरू की गई । विचार-विमर्श के बाद यह आम राय थी कि इस योजना

को स्वैच्छिक आधार पर, न कि विवशता कारी विधान द्वारा चलाया जाना चाहिए ।

कृषि कार्यक्रमों के लिये संवाद लेखक

4339. **श्री महाराजसिंह भारती :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम के प्रसारणों के लिये लेखकों की अर्हताएं क्या हैं, और

(ख) क्या उन्हें केवल पुस्तकों का ज्ञान होता है या उन्होंने किसानों के बीच रह कर इस विषय का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए स्क्रिप्ट लेखकों की कोई विशेष अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई हैं, परन्तु स्टाफ आर्टिस्ट की श्रेणियों के लिये स्टैंडर्ड अर्हताएं की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रख दी गई । देखिए संख्या** 1772/69]

(ख) कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के स्क्रिप्ट लेखकों में से अधिकांश को व्यावहारिक ज्ञान है ।

किसानों को उर्वरकों की सप्लाई

4340. **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री सूरज भान :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक सप्लाई करने के लिए 1966--69 में क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) इस कार्यवाही में हाल में कोई परिवर्तन किये गये हैं अथवा भविष्य में करने का विचार है; और

(ग) वर्तमान स्थिति क्या है और किये गये ऐसे परिवर्तनों के क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). किसानों को सस्ते मूल्य पर उर्वरक देने के लिए 1966--69 के दौरान समय समय पर निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) केन्द्रीय उर्वरक पूल उर्वरकों की अधिप्राप्ति और किसानों को सम्भाव्य सस्ते से सस्ते मूल्य पर उनके सम्भरण के लिए सम्भरण विभाग की एक केन्द्रीय क्रय प्रणाली के माध्यम से विदेशों से प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर उर्वरकों का आयात करना है। इसके अतिरिक्त, माल की परिसीमाओं और बन्दरगाहों की क्षमता आदि के अनुसार एक साथ बड़ी मात्रा में उर्वरकों के आयात को बढ़ा कर जहाजों की व्यवस्था भी अति प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर की जाती है।

(2) जनवरी 1969 तक उर्वरकों के देशीय उत्पादन का वितरण मुख्यतः केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा स्थानीय कारखानों को प्रतिरक्षण मूल्य प्रदान करके, किया जाता था, जिसका निर्धारण वित्त मंत्रालय के लागत लेखा अधिकारीगण कारखानों की उत्पादन--लागत के आधार पर करते हैं। आयातित सामग्री के साथ साथ ये भी किसानों को 'न लाभ, न हानि' के आधार पर बेचे जाते थे। स्थानीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यापार विकसित करने और उन के उत्पादन की लागत को कम करने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, यह निश्चित किया गया है कि 1 जनवरी, 1969 से उनके उत्पादन के किसी भी अंश को पूल द्वारा वितरण के लिये न लिया जाये।